मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल
फोन 0755-2550095, 2551486-87 फैक्स 2550094

क्रमांक/NR-3/NREGS-MP/2010/4446 भोपाल, दिनांक 30/04/2010

प्रति,
1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
   जिला - समस्त (मध्यप्रदेश)
3. कार्यपालन यंत्री
   ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
   संभाग समस्त मध्यप्रदेश

विषयः मुख्यमंत्री सड़क योजना का मनरेगा एवं बी.आर.जी.एफ. से अभिसरण के साथ ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्धारित प्रारूप में जारी करने बावत।

---0---

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र., मुख्यमंत्री सड़क योजना तथा बी.आर.जी.एफ. मद के अभिसरण से ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। इस अनुक्रम में तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप परिषद के पत्र क्रमांक 3302-ए/एनआर-3/एनआरईजीएस-एमपी/2010 भोपाल दिनांक 01.04.2010 द्वारा प्रेषित मेन्युअल के साथ संलग्न किया गया है जिसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 2174/22/वि-10/ग्रायांसे/स.प्रा./2010 भोपाल दिनांक 21.04.2010 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुक्रम में तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति आदेश प्रारूप को परिमार्जित किया गया है।

2.1 निर्देशानुसार योजना अंतर्गत ग्रामीण सड़कों में इम्बैंकमेंट, सबग्रेड तथा ग्रेवल बिछाने का कार्य मनरेगा एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना के अभिसरण से किया जावेगा, जिसकी तकनीकी स्वीकृति प्रारूप-एक तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्रारूप-चार के अनुसार जारी की जावेगी।

2.2 बी.आर.जी.एफ. पोषित 29 जिलों में पुल-पुलियों का कार्य बी.आर.जी.एफ. मद से कराने हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रारूप-दो तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्रारूप-पॉच के अनुसार जारी की जावेगी।

प्रारूप–एक

कार्यालय कार्यपालन यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग .... जिला.........

:: **तकनीकी स्वीकृति आदेश** ::

कमांक / / /ग्रायांसे / 2010, ... दिनांक / / म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 2174 / 22 / वि–10 / ग्रायांसे / स.प्रा. / 2010 भोपाल दिनांक 21.04.2010 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, प्रस्तुत प्राक्कलन के आधार पर, मनरेगा एवं मुख्यमंत्री सडक योजना के अभिसरण के तहत निम्नांकित सड़क के कार्यो की, उनके समक्ष दर्शाई गई राशि की तकनीका स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भाग – 1

क्रं.	विकास खण्ड का नाम	कलस्टर क्र.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी)	लिंक रूट क्र.	शेल्फ आफ प्रोजेक्ट का क्रं.	तकनीकी स्वीकृति	
							क्रमांक	लागत (राशि रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शाजापुर	सी–1	रामपुर से श्यामपुर नवीन कार्य	5.00	L-031	6/ 10-11	2/ 10-11	90.00
2	आगर	सी–1	बागोद से ढामा उन्नयन कार्य	3.00	L-067	15/ 10 -11	3/ 10-11	50.00

भाग – 2

क्रं.	सड़क का नाम	मनरेगा मद से स्वीकृत वित्तीय अंश (रू. लाख में)					मुख्यमंत्री सड़क योजना मद से स्वीकृत राशि (रू. लाख में	कुल स्वीकृत राशि (रू. लाख में) (5+8)
		अकुशल मजदूरी का अंश	अर्द्धकुशल, कुशल मजदूरी एवं सामग्री का अंश	योग	मजदूरी प्रतिशत में	सामग्री प्रतिशत में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रामपुर से श्यामपुर नवीन कार्य	40.00	30.00	70.00	57	43	20.00	90.00
2	बागोद से ढामा उन्नयन कार्य	23.31	13.69	37.00	63	37	13.00	50.00
	योग	63.31	43.69	107.00	59	41	33.00	140.00

टेबिल में दर्शाये गये डाटा उदाहरण स्वरूप हैं।

2.3 शेष 21 जिलों में पुल–पुलियों का कार्य मुख्यमंत्री सड़क योजना मद से कराने हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रारूप–तीन तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्रारूप–छः के अनुसार जारी की जावेगी।

3. परिषद के पत्र क्रं. 3980/NR-4, भोपाल, दिनांक 23/04/10 द्वारा कार्यपालन यंत्रियों को मनरेगा मद से किये जाने वाले कार्यों हेतु जारी टोकन राशि के समायोजन पश्चात् प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश प्रारूप की कंडिका 4.7 के अनुसार कार्यवार राशि दी जावेगी।

4. कृपया ग्रामीण सड़कों के लिये तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृतियां निर्धारित प्रारूपों में जारी किये जाने का अनुरोध है।

संलग्न – 1. तकनीकी स्वीकृति प्रारूप एक से तीन
2. प्रशासकीय स्वीकृति प्रारूप चार से छः
3. 01 कि.मी. सड़क हेतु मानक प्राक्कलन

30/4/10

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ.क्रमांक/NR-3/NREGS-MP/2010/4447 भोपाल, दिनांक 30/04/2010

प्रतिलिपि–

1. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
2. कमिश्नर, समस्त संभाग, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल समस्त मध्यप्रदेश।
4. प्रोजेक्ट मैनेजर समस्त प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट बारहमासी ग्रामीण सड़क योजना मध्यप्रदेश।

30/4/10

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ.क्रमांक................ दिनांक...................

प्रतिलिपि / –

1. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल..
2. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. जिला .... (मध्यप्रदेश)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. जिला .... (मध्यप्रदेश)
4. परियोजना अधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट क्रमांक – 2, जिला ....
5. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग ....
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत ....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग....................जिला.................

शर्तें:–

1. कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं मापदण्ड के अनुसार ही संपादित किया जावे ।
2. प्रशासकीय स्वीकृति की राशि से अधिक व्यय न किया जावे ।
3. उपरोक्तानुसार प्रशासकीय स्वीकृति, आवंटन की उपलब्धता एवं योजनाओं की शर्तों अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावे ।
4. कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, निर्माणाधीन स्थिति में एवं कार्य समापन के उपरांत विभिन्न स्तर पर फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराई जावें ।
5. उपरोक्त स्वीकृति में पुल पुलियों का नवीन अथवा उन्नयन कार्य सम्मिलित नहीं है।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग...................जिला.................

कार्यालय कार्यपालन यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग .... जिला.........
:: तकनीकी स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक / / /ग्रायांसे / 2010, ... दिनांक / / म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 2174 / 22 / वि–10 / ग्रायांसे / स.प्रा. / 2010 भोपाल दिनांक 21.04.2010 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, प्रस्तुत प्राक्कलन के आधार पर, * बीआरजीएफ मद से विकासखण्ड............के क्लस्टर क्रमांक..........के निम्नांकित सड़कों के अंतर्गत बनाये जाने वाली पुल–पुलियों हेतु, उनके समक्ष दर्शाई गई राशि अनुसार कुल रू..........(राशि शब्दों में ....) की तकनीकी स्वीकृति क्रमांक............, दिनांक................के द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि मी)	पुल पुलिया का विवरण	संख्या	सड़क का चैनेज क्रमांक (कि मी)	प्राक्कलन की राशि (रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	रामपुर से श्यामपुर	5.00	1 रो ह्यूम पाईप 2 रो ह्यूम पाईप	2 1	0.2, 0.9 2.5	5.00
2	बागोद से ढामा	3.00	1 रो ह्यूम पाईप बाक्स कलवर्ट	3 1	0.2, 0.9, 1.5 2.5	7.00

टेबिल में दर्शाये गये डाटा उदाहरण स्वरूप हैं।

(* बीआरजीएफ मद से पोषित जिले हेतु)

शर्तें:—

1. कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं मापदण्ड के अनुसार ही संपादित किया जावे ।
2. प्रशासकीय स्वीकृति की राशि से अधिक व्यय न किया जावे ।
3. उपरोक्तानुसार प्रशासकीय स्वीकृति, आवंटन की उपलब्धता एवं योजनाओं की शर्तों अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावे ।
4. कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, निर्माणाधीन स्थिति में एवं कार्य समापन के उपरांत विभिन्न स्तर पर फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराई जावें ।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग...................जिला.................

पृ.क्रमांक.................. दिनांक....................

प्रतिलिपि / —

1. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल..
2. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र. जिला .... (मध्यप्रदेश)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र. जिला .... (मध्यप्रदेश)
4. परियोजना अधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट क्रमांक — 2, जिला ....
5. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग ....
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत ....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग.....................जिला..................

कार्यालय कार्यपालन यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग .... जिला.........
:: तकनीकी स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/ / /ग्रायांसे/2010, ... दिनांक / / म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 2174/22/वि–10/ग्रायांसे/स.प्रा./2010 भोपाल दिनांक 21.04.2010 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, प्रस्तुत प्राक्कलन के आधार पर, * मुख्यमंत्री ग्राम सड़क मद से विकासखण्ड............के क्लस्टर क्रमांक..........के निम्नांकित सड़कों के अंतर्गत बनाये जाने वाली पुल–पुलियों हेतु, उनके समक्ष दर्शाई गई राशि अनुसार कुल रू........... (राशि शब्दों में......................) की तकनीकी स्वीकृति क्रमांक............., दिनांक................के द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि मी)	पुल पुलिया का विवरण	संख्या	सड़क का चैनेज क्रमांक (कि मी)	प्राक्कलन की राशि (रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	
1	रामपुर से बलरामपुर	6.00	1 रो ह्यूम पाईप 2 रो ह्यूम पाईप	2 1	0.2, 0.9 2.5	5.00
2	कन्नौद से डुंगरिया	9.00	1 रो ह्यूम पाईप बाक्स कलवर्ट	3 1	0.2, 0.9, 1.5 2.5	7.00

टेबिल में दर्शाये गये डाटा उदाहरण स्वरूप हैं।

(* गैर बीआरजीएफ जिले हेतु)

शर्तें:–

1. कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं मापदण्ड के अनुसार ही संपादित किया जावे ।
2. प्रशासकीय स्वीकृति की राशि से अधिक व्यय न किया जावे ।
3. उपरोक्तानुसार प्रशासकीय स्वीकृति, आवंटन की उपलब्धता एवं योजनाओं की शर्तो अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावे ।
4. कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, निर्माणाधीन स्थिति में एवं कार्य समापन के उपरांत विभिन्न स्तर पर फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराई जावें ।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग...................जिला.................

पृ.क्रमांक.................   दिनांक...................

प्रतिलिपि/–

1. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल.. ....
2. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. जिला .... (मध्यप्रदेश)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. जिला .... (मध्यप्रदेश)
4. परियोजना अधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट क्रमांक – 2, जिला ....
5. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग ....
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत ....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग...................जिला..................

कार्यालय कलेक्टर जिला ....

:: प्रशासकीय स्वीकृति आदेश ::

कमांक – दिनांक – म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 2174/22/वि–10/ग्रायांसे/स.प्रा./2010 भोपाल दिनांक 21.04.2010 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, प्रस्तुत प्राक्कलन के आधार पर, मनरेगा एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना के अभिसरण के तहत निम्नांकित सड़क कार्यों की, उनके समक्ष दर्शाई गई राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तकनीकी स्वीकृति का विवरण भाग – 1

क्रं.	विकास खण्ड का नाम	कलस्टर क्र.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी)	लिंक रूट क्र.	शेल्फ आफ प्रोजेक्ट का क्रं.	तकनीकी स्वीकृति	
							क्रमांक	लागत (राशि रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शाजापुर	सी–1	रामपुर से श्यामपुर नवीन कार्य	5.00	L-031	6/ 10-11	2/ 10-11	90.00
2	आगर	सी–1	बागोद से ढामा उन्नयन कार्य	3.00	L- 067	15/ 10 -11	3/ 10-11	50.00

प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण भाग – 2

क्रं.	सड़क का नाम	मनरेगा मद से स्वीकृत वित्तीय अंश (रू. लाख में)					मुख्यमंत्री सड़क योजना मद से स्वीकृत राशि (रू. लाख में	कुल स्वीकृत राशि (रू. लाख में) (5+8)
		अकुशल मजदूरी का अंश	अर्द्धकुशल, कुशल मजदूरी एवं सामग्री का अंश	योग	मजदूरी प्रतिशत में	सामग्री प्रतिशत में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रामपुर से श्यामपुर नवीन कार्य	40.00	30.00	70.00	57	43	20.00	90.00
2	बागोद से ढामा उन्नयन कार्य	23.31	13.69	37.00	63	37	13.00	50.00
	योग	63.31	43.69	107.00	59	41	33.00	140.00

टेबिल में दर्शाये गये डाटा उदाहरण स्वरूप हैं।

शर्तें :-

1. निर्माण कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मद के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप कराया जावेगा।
2. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में योजना से संबंधित सूचना फलक कार्यस्थल पर लगाया जाना आवश्यक होगा।
3. निर्माण कार्य, स्वीकृत प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जाएगा।
4. मनरेगा अंतर्गत किये जाने वाले कार्य हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :–

4.1 कार्यस्थल पर क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा लगाए जाने वाले श्रमिकों हेतु पीने के पानी की व्यवस्था, फर्स्ट एड किट की व्यवस्था, मजदूरों के विश्राम के समय छाया की व्यवस्था एवं छः वर्ष से कम आयु के पांच से अधिक बच्चों पर झूला घर व पृथक से एक महिला को बच्चों की देख रेख हेतु नियुक्त किया जाए, तथा इस महिला को एनआरईजीएस के अन्तर्गत अकुशल श्रमिक के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जावे।

4.2 मजदूरों को मजदूरी का भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफिस में खोले गये उनके बैंक खातों के माध्यम से साप्ताहिक रूप से किया जाना अनिवार्य होगा। मजदूरी भुगतान किसी भी दशा में पन्द्रह दिवस से अधिक लंबित न होगा ।

4.3 कार्य प्रगति संबंधी प्रतिवेदन पाक्षिक तथा कार्यरत श्रमिकों से सृजित हो रहे मानव दिवस संबंधी जानकारी प्रति सप्ताह संबंधित कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रस्तुत किया जाये।

4.4 कार्यस्थल पर मस्टररोल रखना अनिवार्य होगा तथा निरीक्षण के समय योजनांतर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा चाहे जाने पर अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

4.5 कार्य से संबंधित मस्टररोल की छायाप्रतियां संबंधित ग्राम पंचायत एवं जनपद कार्यालय को ग्रामवार एकजायी कर एम.आई.एस. संधारित करने हेतु भेजी जावेगी।

4.6 संबंधित कार्यक्रम अधिकारी को कार्य प्रारंभ करने की सूचना क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा दी जावेगी।

4.7 मनरेगा अंश से स्वीकृति की 50 प्रतिशत राशि कार्यपालन यंत्री ग्रायांसे एवं पीएमयू से संबंधित कार्य की भी राशि जिले के कार्यपालन यंत्री को ही निर्गमित की जावे। इस राशि के 60 प्रतिशत का उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रियान्वयन एजेंसी से प्राप्त होने पर शेष राशि निर्गमित की जावें।

4.8 लेखा अधिकारी (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.–एम.पी.) जिला पंचायत .... उपरोक्तानुसार स्वीकृत कार्य की राशि रू. .... लाख (शब्दों में .... रू.) क्रियान्वयन एजेंसी .... को प्रथम किश्त के रूप में चेक द्वारा जारी करें।

4.9 स्वीकृत कार्यों के अभिलेखों का संधारण विभाग द्वारा जारी लेखा, लेखापरीक्षा एवं मानिटरिंग मैन्यूअल तथा कार्य विभाग नियमावली एवं केन्द्रीय लोक लेखा संहिता के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

5. कार्यों हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री व कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण विभाग द्वारा जारी परिपत्र–2 दिनांक 27.03.2010 के द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देशों का भलीभांति पालन किया जावें।
6 कार्य पूर्ण होने पर कार्य का पूर्णता प्रमाण–पत्र एवं राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र मदवार जारी किया जावे।
7. उक्त कार्यो के लिये विभाग के द्वारा जारी एक्जिट प्रोटोकॉल संधारण किया जावे।
8. कार्यस्थल पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में साइट आर्डर बुक संधारित की जावे तथा कार्य क्रियान्वयन के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा कार्य के संबंध मे अपनी टीप साईट आर्डर बुक मे आवश्यक रूप से दर्ज की जावे।
9. कार्य पर लगने वाली सामग्री आदि के क्रय करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी भण्डार तथा सेवा उपापन निर्देशिका में दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे।
10. उपरोक्त स्वीकृति में पुल पुलियों का नवीन अथवा उन्नयन कार्य सम्मिलित नहीं है।

कलेक्टर
जिला ....

प्रतिलिपि/–

1. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. विकास आयुक्त, विन्ध्याचल भवन भोपाल ।
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
4. मख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
5. संचालक, ग्रामीण रोजगार विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
6. संभागीय आयुक्त, संभाग.....................................
7. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल...
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. जिला ....
9. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पदेन प्रोजेक्ट मैनेजर .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट मुख्यमंत्री सड़क योजना जिला ....।
11. लेखा अधिकारी/लेखापाल, जिला पंचायत .... को सूचनार्थ एवं प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार क्रियान्वयन ऐजेंसी को प्रथम किश्त की राशि तत्काल जारी की जावे।
12. कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ....
13. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रायासे अनुविभाग.......................................

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर
जिला ....

कार्यालय कलेक्टर जिला ....

:: प्रशासकीय स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक – दिनांक – म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 2174/22/वि–10/ग्रायांसे/स.प्रा./2010 भोपाल दिनांक 21.04.2010 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, कार्यपालन यंत्री, ग्रायासे .... द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति क्र. .... दिनांक................ के आधार पर, * बी.आर.जी.एफ. योजना के तहत् विकासखण्ड .... के क्लस्टर क्र. ...... में शामिल सड़को मे बनने वाली पुल–पुलियों के कार्य हेतु रूपये .... (शब्दों में .... लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है।

क्रं	विकास खण्ड का नाम	कलस्टर क्रं.	कार्य का नाम	पुल – पुलियो की संख्या	प्राक्कलन की राशि लागत (राशि रू. लाख में)
1	2	3	4	7	10
1	शाजापुर	सी–1	रामपुर से श्यामपुर सड़क मे पुल–पुलियो का निर्माण	03	5.00
2	अगार	सी–1	बागोद से ढामा	04	7.00

टेबिल में दर्शाये गये डाटा उदाहरण स्वरूप हैं।

(* बीआरजीएफ मद से पोषित जिले हेतु)

शर्ते :–

1. निर्माण कार्य बीआरजीएफ योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप तथा कार्य विभाग नियमावली एवं केन्द्रीय लोक लेखा संहिता के प्रावधानों के अनुसार कराया जावेगा।
2. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में योजना से संबंधित सूचना फलक कार्यस्थल पर लगाया जाना आवश्यक होगा।
3. निर्माण कार्य, स्वीकृत प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जाएगा।
4. कार्यों हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री व कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण विभाग द्वारा जारी परिपत्र–2 दिनांक 27.03.2010 के द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देशों का भलीभांति पालन किया जावें।
5. कार्य पूर्ण होने पर कार्य का पूर्णता प्रमाण–पत्र एवं राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र जारी किया जावे।
6. उक्त कार्य के लिये विभाग के द्वारा जारी निर्देशानुसार एक्जिट प्रोटोकॉल संधारित किया जावे।
7. कार्यस्थल पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में साइट आर्डर बुक संधारित की जावे तथा कार्य क्रियान्वयन के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा कार्य के संबंध मे अपनी टीप साईट आर्डर बुक मे आवश्यक रूप से दर्ज की जावे।
8. इस स्वीकृति की 50 प्रतिशत राशि कार्यपालन यंत्री ग्रायांसे/परियोजना प्रंबधक, पीएमयू – को निर्गमित की जाती है। इस राशि के 60 प्रतिशत का उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रियान्वयन एजेंसी से प्राप्त होने पर शेष राशि निर्गमित की जावें।

कलेक्टर
जिला ....

पृ.क्रमाक.................   दिनांक...................

प्रतिलिपि/—

1. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. विकास आयुक्त, विन्ध्याचल भवन भोपाल ।
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
5. संचालक, ग्रामीण रोजगार विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
6. संभागीय आयुक्त, संभाग.................................
7. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल..
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र. जिला ....
9. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पदेन प्रोजेक्ट मैनेजर .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट मुख्यमंत्री सड़क योजना जिला ....।
11. लेखा अधिकारी/लेखापाल, जिला पंचायत .... को सूचनार्थ एवं प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार क्रियान्वयन ऐजेंसी को प्रथम किश्त की राशि तत्काल जारी की जावे।
12. कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ....
13. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रायासे अनुविभाग....................................

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर
जिला ....

कार्यालय कलेक्टर जिला ....

:: प्रशासकीय स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक – दिनांक – म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 2174/22/वि–10/ग्रायांसे/स.प्रा./2010 भोपाल दिनांक 21.04.2010 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, कार्यपालन यंत्री, ग्रायासे ....द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति क्र. .... दिनांक................... के आधार पर, * मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् विकासखण्ड .... के क्लस्टर क्र. – में शमिल सड़को मे बनने वाली पुल–पुलियों के कार्य हेतु रूपये .... (रूपये .... लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है।

क्रं	विकास खण्ड का नाम	कलस्टर क्र.	कार्य का नाम	पुल – पुलियो की संख्या	प्राक्कलन की राशि लागत (राशि रू. लाख में)
1	2	3	4	7	10
1	मंदसौर	सी–1	राभपुर से बलरामपुर सड़क मे पुल–पुलियो का निर्माण	03	5.00
2	मंदसौर	सी–1	कन्नौद से डुंगरिया सड़क मे पुल–पुलियो का निर्माण	04	7.00

टेबिल में दर्शाये गये डाटा उदाहरण स्वरूप हैं।

(* गैर बीआरजीएफ जिले हेतु)

शर्ते :–

1. निर्माण कार्य मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप तथा कार्य विभाग नियमावली एवं केन्द्रीय लोक लेखा संहिता के प्रावधानों के अनुसार कराया जावेगा। कराया जावेगा।
2. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में योजना से संबंधित सूचना फलक कार्यस्थल पर लगाया जाना आवश्यक होगा।
3. निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जाएगा।
4. कार्यो हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री व कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण विभाग द्वारा जारी परिपत्र–2 दिनांक 27.03.2010 के द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देशों का भलीभांति पालन किया जावें।
5. कार्य पूर्ण होने पर कार्य का पूर्णता प्रमाण–पत्र एवं राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र जारी किया जावे।
6. उक्त कार्य के लिये विभाग के द्वारा जारी निर्देशानुसार एक्जिट प्रोटोकॉल संधारित किया जावे।
7. कार्यस्थल पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में साइट आर्डर बुक संधारित की जावे तथा कार्य क्रियान्वयन के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा कार्य के संबंध मे अपनी टीप साईट आर्डर बुक मे आवश्यक रूप से दर्ज की जावे।

कलेक्टर
जिला ....

पृ.क्रमांक................ दिनांक...................

प्रतिलिपि / —

1. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. विकास आयुक्त, विन्ध्याचल भवन भोपाल ।
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
5. संचालक, ग्रामीण रोजगार विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
6. संभागीय आयुक्त, संभाग.................................
7. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल..
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. जिला ....
9. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पदेन प्रोजेक्ट मैनेजर .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट मुख्यमंत्री सड़क योजना जिला ....।
11. लेखा अधिकारी / लेखापाल, जिला पंचायत .... को सूचनार्थ एवं प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार क्रियान्वयन ऐजेंसी को प्रथम किश्त की राशि तत्काल जारी की जावे।
12. कार्यक्रम अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ....
13. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रायासे अनुविभाग...................................

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर

जिला ....

Embankment by borrow and Sub-grade by transported soil having CBR 5-6%

Model Estimate of Gravel Road 1.00 KM (6.00M wide) in BRGF District

		Sub grade CBR	5-6%		ESAL = 60000-100000					Crust thickness		225	mm		
		Hard Shoulder = 150mm			Total Crust thickness-275mm					Surface course		50	mm		
Sl. no	SOR Item No.	Item	No	Length	Width	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount			HEAD	NREGS	
											NREGS	BRGF	STATE	Labour Amount	material Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0102 (Apply Distt. SOR) *	Jungle clearance including uprooting of rank vegetation, grass, brush wood, saplings and tree not exceeding 30cm girth and removing not exceeding 50meters outside the periphery of the area cleared.	1	1000	15-5=	10	10000	Sqm	4.30	43000	43000	0	0	43000	0
2	2503	Surveying, leveling, recording of levels & bearing, plotting and computation of quantity of earth work Taking and recording of pre commencement levels and chainaging as per prescribed spacing i.e. 0.75, 1.5, 2.25, 3.00, 4.50, 5.50, 6.50 m in both side across the road and at center line, @ 20 m interval, taking & recording bearing by magnetic compass surveying of center line, computation of levels and marking of Road Top Level(RTL) in L-section & computation of volume for different components of road accordingly, as per design and drawing, Setting out of Cross Drainage structures with required reference pillars, Marking and recording of levels on reference pillars by Green,Yellow and Red synthetic emulsion paint for embankment, subgrade, and RTL respectively etc complete as directed by engineer- in-charge	1				1	KM	3074.80	3075	3075	0	0	0	3075

S. no	SOR Item No.	Item	No	Length	Width	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount	HEAD NREGS	BRGF	STATE	NREGS Labour Amount	NREGS material Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	2502 **	Setting out work (Reference pillars, referencing bench mark and temporary bench mark) Construction of Reference Bench Mark 50x50x70 cm. made of 1:3:6 cement concrete i/c excavation of 50x50x50 cm pit, working benchmark 30x30x45 cm at every 500 m interval made of 1:3:6 cement concrete i/c excavation of 30x30x30 cm pit and providing and fixing of Reference pillars made of cast in situ or precast RCC pole.1.50m long having dimensions as100x100mm at top and 150x150mm at bottom with 4 no. 8mm dia. bars in longitudinal direction and 6mm dia. stirrups at 300mm c/c spacing, made in cement concrete M-15, or finished stone posts 1500 x200x75 mm size embeded in 30x30x45 cm cement concrete 1:3:6 i/c excavation and casting etc. complete, @ 100 m interval or as required on both sides of the formation width prefrably at 5.50 m distance from centre line.	1	1			1	km	7462.90	7463	7463	0	0	0	7463
4	2501**	Construction of BGSY information board in cement concrete Construction of BGSY information board in cement concrete M-15 with skin reinforcement of 8 mm dia bars @ 300 mm C/C spacing in both ways, including excavation, base concrete (M10), priming, painting with two coats synthetic enamel paint on new concrete surface including painting-figuring Logo and Slogan including writing of all information about the road as per prescribed drawing.	1				1	no	5933.70	5934	5934	0	0	0	5934

S. no	SOR Item No.	Item	No	Length	Width	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount	HEAD NREGS	HEAD BRGF	HEAD STATE	NREGS Labour Amount	NREGS material Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5		**Embankment**													
5.1	2040 (Apply Dist. SOR)	Loosening, Levelling and Compacting original ground, supporting embankment to facilitate placement of first layer of embankment,scarified to a depth of 150 mm, spreading in uniform layer with tractor mounted grader, watering at OMC and compacted by rollers of 80 to 100KN static weight to achieve desired dry density as given in tables 300.1 and 300.2 for embankment construction as per specifications for rural roads clause 301.4.1 (To be executed with prior written permission of S.E.)			As required			cum	9.90						
5.2	0301 (b) (Apply Distt. SOR)	Earth work in bulk excavation (exceeding 30cm in depth, 1.5m in width as well as 10sqm on plan) including disposal of excavated soil lead upto 50m and lift upto 1.5m, disposed soil to be levelled and neatly dressed. (b) Dense or hard soil	1	1000	(8.9+8.3)/2+0.15+0.15	0.15	1335	cum	68.00	90780	90780	0	0	90780	0
5.3	2041 (Apply Distt. SOR) ***	Compaction of embankment with approved materials, already collected and spreaded at site, obtained from roadway cutting, excavated from drains, foundation of other structures or from borrow pit, making longitudinal and cross fall (Grade & camber) by tractor mounted grader, watering at OMC and compacted by rollers of 80 to 100 kN static weight to meet requirements of table 300.1 and 300.2 and clause 301.4 & 301.5 of specifications for rural roads, i/c all leads and lifts etc. complete.	1	1000	(8.9+8.3)/2	0.15	1290	cum	18.40	23736	23736	0	0	0	23736
6		**Subgrade**													
6.1	1802 (Apply Distt. SOR) *	Collection of approved soil having CBR not less than 5, including stacking at quarry	1	1000	(8.3+7.1)/2+0.15+0.15	0.3	2400	cum	94.50	226800	226800	0	0	226800	0
6.2	1902 (f) (Apply Distt. SOR) ****	transportation i/c loading and unloading (av Lead 3.00 KM)	1	1000	(8.3+7.1)/2	0.3	2310	cum	86.22	199168	199168	0	0	0	199168

41

Sl. no	SOR Item No.	Item	No	Length	Width	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount	HEAD NREGS	BRGF	STATE	NREGS Labour Amount	NREGS material Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.3	1818(a) (Apply Distt SOR) *	Stacking without boxing.	1	1000	(8.3+7.1)/2	0.3	2310	cum	11.00	25410	25410	0	0	25410	0
6.4	2043 (Apply Distt SOR) ***	Compaction of soil for construction of subgrade & earthen shoulders with approved transported material collected and stacked at site, i/c spreading, making proper grade and camber by tractor mounted grader or manual labour, watering at OMC and compacted by rollers of 80 to 100kN static weight to achieve density atleast 100% of the MDD as per IS:2720 (Part-7), as per clause 303 of specifications for rural roads. i/c all leads and lifts etc. complete.	1	1000	(8.3+7.1)/2	0.3	2310	cum	23.00	53130	53130	0	0	0	53130
7		GRAVEL													
7.1	2046 *****	Construction of gravel base course by naturally occurred gravel or river born material or by crushed metal or mixture of two or more to bring the material in appropriate grading confirming to clause 2.2.2.2, plasticity characteristics of fines as per clause 2.2 3 of IRC:SP:77-2008 and CBR not less then 80, having Liquid Limit and Plasticity Index less than 25 and 10 respectively, mixing by mix in place method on prepared surface, spreading in uniform layers with tractor mounted grader, watering at OMC and compacting with roller of 80-100 kN static weight to achieve density atleast 100% of the MDD as per IS:2720 (Part-7), as per specifications for rural roads clause 402, i/c all leads and lifts etc. complete.	1	1000	3.00	0.225	675	cum	468.00	315900	0	0	315900	0	0

Sl. no	SOR tem No.	Item	No	Length	Width	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount	HEAD			NREGS	
											NREGS	BRGF	STATE	Labour Amount	material Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.2	2049 *****	Construction of gravel surface course by naturally occurred gravel or river born material or by crushed metal or mixture of two or more in appropriate grading confirming to clause 2.2.2.2, plasticity characteristics of fines as per clause 2.2.3 of IRC:SP:77-2008, having Liquid Limit less than 25 and Plasticity index should range between 6-15, mixing by mix in place method on prepared surface, spreading in uniform layers with tractor mounted grader watering at OMC and compacting with roller of 80-100 kN static weight to achieve density atleast 100% of the MDD as per IS:2720 (Part-7), as per specifications for rural roads clause 402, i/c all leads and lifts etc complete	1	1000	3.00	0.05	150	cum	360.40	54060	0	0	54060	0	0
8		**Earthen Shoulders**													
8.1	1802 (Apply Distt SOR) *	Collection of approved soil having CBR not less than 5, including stacking at quarry	1	1000	{(7.1+6.4)/2} -3+.15+.15	0.175	708.75	cum	94.50	66977	66977	0	0	66977	0
8.2	1902 (f) (Apply Distt SOR) ****	transportaion i/c loading and unloading (av Lead 3.00 KM)	1	1000	{(7.1+6.4)/2} -3	0.175	656.25	cum	86.22	56582	56582	0	0	0	56582
8.3	1818(a) (Apply Distt SOR) *	Stacking without boxing.	1	1000	{(7.1+6.4)/2} -3	0.175	656.25	cum	11.00	7219	7219	0	0	7219	0
8.4	2043 (Apply Distt. SOR) ***	Compaction of soil for construction of subgrade & earthen shoulders with approved transported material collected and stacked at site, i/c spreading, making proper grade and camber by tractor mounted grader or manual labour, watering at OMC and compacted by rollers of 80 to 100kN static weight to achieve density atleast 100% of the MDD as per IS:2720 (Part-7), as per clause 303 of specifications for rural roads, i/c all leads and lifts etc. complete.	1	1000	{(7.1+6.4)/2} -3	0.175	656.25	cum	23.00	15094	15094	0	0	0	15094
9		**Hard Shoulder**													
9.1	1803 (Apply Distt. SOR) *	Collection of approved soil having CBR not less than 12, including stacking at quarry	1	1000	(6.4+6.0)/2-3+0.15+0.15	0.1	350	cum	110.20	38570	38570	0	0	38570	0
	1902 (j) Distt.	transportation i/c loading and unloading (av Lead 5.00 KM)	1	1000	(6.4+6.0)/2-3	0.1	320	cum	104.22	33350	33350	0	0	0	33350

no	SOR Item No.	Item	No	Length	Width	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount	HEAD NREGS	HEAD BRGF	HEAD STATE	NREGS Labour Amount	NREGS material Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.3	1818(a) (Apply Distt SOR) *	Stacking without boxing.	1	1000	(6.4+6.0)/2-3	0.1	320	cum	11.00	3520	3520	0	0	3520	0
9.4	2045 (Apply Distt SOR) ***	Compaction of hard shoulder collected at site, i/c making cross fall 4-5% (camber) by tractor mounted grader, watering at OMC and compacted by rollers of 80 to 100kN static weight to achieve density atleast 100% of the MDD as per IS:2720 (Part-7), as per clause 407 of specifications for rural roads i/c all leads and lifts etc. complete.	1	1000	(6.4+6.0)/2-3	0.1	320	cum	30.80	9856	9856	0	0	0	9856
10	2505 *****	**Cautionary, mandatory, informatory, direction and place indentification signs**													
10.1		(i) Semi-Reflective Traffic signs more than 0.90 sqm size board													
		Providing and erecting cauticrary, mandatory, informatory, direction and place identification of semi reflective sign boards as per IRC-67 made of 2 mm thick M.S. Sheet duly stove enameled paint white colour in front and grey colour on back with reflective border of 70 mm width and required message, letters, figures with reflective tape of engineering grade as per MORD specifications of required shade and colour. Supported and welded on two nos. 47 mm x 47 mm of 12 SWG square tube of 3050 mm height duly strengthened by 25 mm x 5 mm MS flat iron on edges on back firmly fixed to the ground by means of properly designed foundations with M-15 grade cement concrete 450 mm x 450 mm x 600 mm, 600 mm below ground level as per approved drawing and Technical Specification Clause 1701			As required		0.9	sqm	4318.00	3886	3886	0	0	0	3886

S no	SOR Item No.	Item	No	Length	Width	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount	NREGS	BRGF	HEAD STATE	NREGS Labour Amount	NREGS material Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.2		(ii) Semi-Reflective Traffic signs up to 0.90 sqm size board													
		Providing and erecting cautionary, mandatory, informatcry, direction and place identification of semi refl:ctive sign boards as per IRC-67 made of 2 mm thick M.S. Sheet duly stove enameled paint white colour in front and grey colour on back with reflective border of 70 mm width and required message, letters, figures with reflective tape of engineering grade as per MORD specificat ons of required shade and colour. Supported and welded on 47 mm x 47 mm of 12 SWG square tube of 3050 mm height duly strengthened by 25 mm x 5 mm MS flat iron on edges on back firmly fixed to the ground by means of properly designed foundations with M-15 grade cement concrete 450 mm x 450 mm x 600 mn , 600 mm below ground level as per approved drawing and Technical Specification Clause 1701													
		(C) 800 mm x 600 mm rectangular			As required		1	Each	2706.00	2706	2706	0	0	0	2706
		(D) 600 mm x 450 mm rectangular			As required		1	Each	2222.00	2222	2222	0	0	0	2222
11	2507 *****	**Kilometre Stone**													
		Reinforced cement concrete M15 grade kilometre stone/local stone of standard design as per IRC:8 fixing in position including painting and printing, etc as per drawing and Technical specification Clause 1703													
		(A) With Reinforced cement concrete													
11.1		(ii) Ordinary Kilometer Stone (Precast)	1+				2	Each	1135.00	2270	2270	0	0	0	2270
11.2		(iii) 200 m stone (precast)					4	Each	334.00	1336	1336	0	0	0	1336

S. no	SOR Item No.	Item	No	Length	Width	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount	HEAD NREGS	BRGF	STATE	NREGS Labour Amount	mater Amou
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	2515 **	**BGSY Logo Board**													
		Providing and fixing Logo Board of BGSY size 600×600mm diamond shape with 1 plate of size 900×250 mm made of 60 gauge sheet over frame of angle iron 25×25×3 mm, welded in 3050mm long 75×75mm of 12 SWG sheet tubes posts duly embedded in cement concrete M-15 grade of 450mm×450mm×600mm, 600mm below ground level, all sections of frames, posts and steel painted with ready mixed synthetic enamel paint of superior quality in required shade and colour, as per approved drawing.					1	Each	2981	2981	0	0	2981	0	0
13	2511	Guard stones													
		Providing and fixing guard stones on curves or at any other place as directed by engineer incharge made of 220 X220X1000 mm hammer dressed stones and fixed 400mm into the ground in morum and broken agreegates block of size 500X500X500mm and painted with white and black bands in 2 coat including excavation of pit etc. complete.			Within limit of labour & material proportion under MNREGS			Each	230						
14	2512	Providing and fixing circular type tree guard's made of 10mm of size square bars of 1500mm hight, 6 No. vertical out of which 3 fixed with hold fast for fastening in concrete and 3 No circular rings to make tree gard of 1000 mm dia and 1500 mm high including welded mesh with 18 gauge with 25 x 25 mm i/c fixing in ground with CC (M-10) including excavation of pits welding, coating of red oxide primer and painting with enamel paint etc. complete.			Within limit of labour & material proportion under MNREGS			Each	1593						
15	2513	Tree Plantation with including cost of tree and labours & as directed by Engineer incharge			Within limit of labour & material proportion under MNREGS			Each	40						
16	*****	**Cross drainage work (1 Row)**	1		**As required**		1	No.	120833	120833	0	120833	0	0	0
	*****	**Cross drainage work (2 Rows)**	1		**As required**		1	No.	177178	177178	0	177178	0	0	0
17	*	1 mates for 6 months (1 mate/ 50 labour)	1	100			100	No.	135.00	13500	13500	0	0	0	13500

Sno	SOR item No.	Item	No	Length	Width	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount	HEAD NREGS	BRGF	STATE	NREGS Labour Amount	NREGS material Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	*	Extra wages 10% for transported 50 Labour per day	50	100			5000	No.	10.00	50000	50000	0	0	50000	0
		TOTAL													
		Work Charge and Contingency 3.5%								1656535	985583	298011	372941	552276	433308
		For Karmkar Mandal 1%								57979	34495	10430	13053	19330	15166
		GRAND TOTAL								6710	0	2980	3729	0	0
		SAY Rs. In Laks								1721224	1020079	311421	389723	571605	448474
		Percentage								17.21	10.20	3.11	3.90	5.72	4.48
											59.26	18.09	22.64	56.04	43.96

* Labour
** Consultant
*** Roller/ Tanker
**** Transportation
***** Contract Work

Assumption :-

1- 50 Labours employed from distance > 5 KM
2- Task of 1 Labour 1.8 cum/ day (20% reduced task)
3- No. of days required for excavation and laying of soil and subgrade 5000 cum = 2777 man days or 28 days
4- No. of days required for compaction 28 days

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 5361 /NREGS-MP/NR-16/10 भोपाल, दिनांक 26/05/2010

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति जिला कार्यक्रम समन्वयक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
जिला–समस्त

विषय– वन विभाग द्वारा विगत वर्षों में तैयार किये गये वृक्षारोपण स्थलों का औषधि रोपण के माध्यम से मूल्य संवर्धन किये जाने बावत।

संदर्भ– म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय का पत्र क्र एफ–3–46/06/10–2दि 25.11.09

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांर्गत वृक्षारोपण स्थलों के मूल्य संवर्धन हेतु छायादार औषधिय पौधों तथा क्लाइम्बर्स का रोपण/बीजारोपण आगामी वर्षा ऋतु में किया जाना है, यह कार्य वन समितियों के माध्यम से कराये जाने के लिये लेख किया गया है।

अतः क्षेत्रीय वनाधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर उसे सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कराते हुए कृत कार्यवाही से परिषद को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(शिवशेखर शुक्ला) IAS
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

क्र. 5362 /NREGS-MP/NR-16/10 भोपाल, दिनांक 26/05/2010

प्रति,

- अपर सचिव म.प्र. शासन वन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

D:\data 2009\Working PLAN\wp letter.doc

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था

59, द्वितीय तल, "सी" ब्लॉक नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)

क्र.4477/NREGS-MP/NR-17 (नंदन फलो.)/09–10 भोपाल दिनांक 01/05/10

प्रति,

- **कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
- **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक**

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.

जिला–समस्त

विषय :– समीक्षा बैठक का आयोजन।

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. अंतर्गत संचालित उपयोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये परिषद मुख्यालय द्वारा प्रत्येक जिले के नामांकित प्रभारी अधिकारियों की **विकास आयुक्त कार्यालय, समागार कक्ष, विंध्याचल भवन भोपाल म.प्र.** में दिनांक 6 एवं 7 मई 2010 को समय प्रातः 10.30 बजे बैठक का आयोजन किया गया है।

दिनांक	जिला
06.05.10	छतरपुर, पन्ना, कटनी, सतना, सीधी, सिंगरोली, शहडोल, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर, डिण्डौरी, मण्डला, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, सीहोर, देवास, भोपाल, बैतूल, हरदा, खण्डवा (26 जिले)
07.05.10	राजगढ़, सागर, टीकमगढ़, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, अशोकनगर, दतिया, गुना, शिवपुरी, इन्दौर, मन्दसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, दमोह, बुरहानपुर, खरगौन (24 जिले)

बैठक में उपयोजनाओं के प्रभारी/नोडल अधिकारी आवश्यक रूप से संलग्न प्रपत्र में निम्न जानकारी साफ्ट एवं हार्ड कॉपी में लेकर उपस्थित होवें –

नंदन फलोद्यान उपयोजना/हरियाली महोत्सव

- Cummulative Progress Report मासिक प्रगति (माह मार्च/अप्रैल 2010 के अंत तक) एवं योजना प्रारंभ से वर्षवार एवं एकजाई जानकारी।
- उपयोजनांतर्गत प्रस्तावित/लाभान्वित हितग्राहियों की वर्गवार जानकारी।
- 2008–09 एवं 2009–10 में एम.पी. एग्रो/शासकीय नर्सरी/निजी अनुबंधित नर्सरियों से पौध क्रय की जानकारी
- जिले में स्थित/कार्यरत नर्सरियों की जानकारी
- उपयोजना के क्रियान्वयन की वर्षवार प्रगति
- आगामी वर्ष के लिए की गई क्षेत्रीय तैयारी की प्रगति
- हरियाली चुनरी अंतर्गत नर्मदा तट के किनारे स्थित ग्राम व ग्राम पंचायतों की सूची।
- राजीव गांधी जलग्रहण मिशन अंतर्गत कार्यों की प्रगति।
- हरियाली महोत्सव की जानकारी–लक्ष्य अनुरूप रोपित किये गए पौधों की प्रजातिवार संख्या
- राज्य स्तरीय उद्यानिकी विशेषज्ञों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर निर्मित कण्डिकाओं का उत्तर।

वन विभाग की कार्य आयोजना

- वन विभाग की कार्य आयोजना (Working Plan) के क्रियान्वयन एवं कार्य आयोजना के अतिरिक्त अन्य कार्यों की प्रगति (एनआरइजीए मद से) संलग्न प्रपत्र–अ एवं ब के अनुसार।

रेशम/वन्या उपयोजना

- रेशम उपयोजना का प्रगति प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में।
- वन्या उपयोजना का प्रगति प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में।

नर्मदा समग्र प्रकल्प

- नर्मदा समग्र प्रकल्प की जानकारी ए, बी, सी, डी, प्रपत्र में।

संलग्न :– प्रपत्र।

1.5.10

(ए.के. सिंह) IAS
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पृष्ठां. क्र. 4478 /NREGS-MP/NR-17 (नंदन फलो.)/10 भोपाल दिनांक 1/05/10

प्रतिलिपि–

- श्री...राज्य स्तरीय उद्यानिकी विशेषज्ञ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आपको आवंटित जिलों में संलग्न कार्यक्रम अनुसार नन्दन फलोद्यान उपयोजना के संबंध में आपके निरीक्षण बिन्दुओं सहित बैठक में उपस्थित रहने का कष्ट करें ।
- सहायक संचालक, कृषि/उद्यानिकी, परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आपको नन्दन फलोद्यान उपयोजना के संबंध में समस्त जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने का कष्ट करें ।
- श्री आर.के. पाण्डे, सहायक यंत्री/भण्डार प्रभारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि बैठक हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें।

1.5.10

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/2174/22/वि–10/ग्रायांसे/स.प्र./2010, भोपाल, दिनांक : 21/04/10

//आदेश//

बारहमासी ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं बी.आर.जी.एफ. मद के अभिसरण से सड़कों एवं पुल पुलियों के निर्माण कार्यों हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जिला कलेक्टर को प्रदत्त राशि रू. 150.00 लाख (रू. एक सौ पचास लाख मात्र) प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार यथावत् लागू रहेंगे तथा जिला कलेक्टर के समतुल्य, राशि रू. 150.00 लाख (रू. एक सौ पचास लाख मात्र) तक की वित्तीय सीमा में तकनीकी स्वीकृति देने के अधिकार कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को प्रत्यायोजित किये जाते हैं।

2. इस स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के यू.ओ.क्रं. CR-457/B-4/2010 दिनांक 21/4/2010 द्वारा सहमति प्राप्त है।

(अजय तिर्की)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक/2175/22/वि–10/ग्रायांसे/स.प्र./2010, भोपाल, दिनांक : 21/04/10

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
3. निज सचिव, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. सचिव, वित्त विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. संभागायुक्त (समस्त), मध्यप्रदेश।
7. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश।
8. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, (समस्त) म.प्र.।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, (समस्त) म.प्र.।
10. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, (समस्त) म.प्र.।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

आर. परशुराम आई.ए.एस.
विकास आयुक्त एवं
प्रमुख सचिव

अर्द्ध शासकीय पत्र क्र./ 098 /2010
दूरभाष : 0755 – 2551114, 2441348 (O)
फेक्स : 0755 – 2441367, 4093625
ई–मेल : parasuram@nic.in

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 13/05/2010

प्रिय श्री कुमरे,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक मांग आधारित योजना है। किन्तु साक्षरता, सामाजिक परिवेश और विस्तृत भौगोलिक सीमाओं के कारण मांग के अधिकार की उपयोग की क्षमता का प्रसार समान रूप से सभी वर्गों और क्षेत्रों में नहीं हो पा रहा है। समाचार पत्रों में अन्य राज्यों में हितग्राहियों द्वारा योजना की जानकारी नहीं होने के कारण मांग प्रस्तुत नहीं की जा रही है, इस प्रकार की सूचना भी प्राप्त हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसी स्थिति आपके जिले में नहीं होगी। फिर भी मैं चाहूंगा कि जानकारी के अभाव में मांग नहीं होने की अवस्था राज्य में न हो। रोजगार की आवश्यकता होने पर भी यदि मांग नहीं आ रही है, तो यह स्थिति चिंताजनक है। मांग उठाने की प्रक्रियात्मक जानकारी नहीं होना, मांग नहीं आने का संभावित कारण हो सकता है।

कृपया तत्काल जिले के ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित करें। जहां पर रोजगार की आवश्यकता है और वहाँ से आवश्यकता अनुरूप मांग नहीं आ रही है। चिन्हांकित क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार रोजगार के अवसरों की उपलब्धता की समीक्षा निरन्तर करें।

ग्रामीणों द्वारा रोजगार की आवश्यकता होने पर अधिक से अधिक काम की मांग की जाए इस हेतु प्रदेश के कई जिलों द्वारा नवाचार प्रयोग किए गए हैं। जिनके परिणाम स्वरूप इन जिलों में काम की मांग में वृद्धि हुई है। आपके जिले में भी नवाचार का प्रयोग कर ग्रामीणों को काम की मांग करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। प्रभावी सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों द्वारा भी काम की मांग में वृद्धि की जा सकती है।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि अनुसूचित क्षेत्रों में काम की आवश्यकता सर्वाधिक रहती है। अतः ऐसे क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को सौ दिन का रोजगार मिलना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें जहां पर अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के परिवार निवासरत हों। ऐसे क्षेत्रों में योजनांतर्गत नियमित रूप से कार्य संचालित किए जाए। इनके साथ ही क्षेत्र के उन परिवारों को भी चिन्हित कर उन्हें 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिनके परिवार में कुपोषण की समस्या हो।

........2

मुख्यमंत्री जी के ध्वज कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु श्रमिकों की आवश्यकता की पूर्ति की ओर भी आप द्वारा समुचित ध्यान दिया जाना है।

मुझे आशा है कि मेरे पूर्व निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में यह कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही होगी। कृपया मुझे इस संबंध में की गई कार्रवाई से और आगामी व्यवस्थाओं के संबंध में अवगत कराने का कष्ट करें।

सादर

भ व दी य

(आर. परशुराम)

श्री [redacted]
कलेक्टर,
जिला – [redacted]

रश्मि अरूण शमी आई.ए.एस.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
म.प्र. शासन

NREGA

अर्द्धशासकीय पत्र क्र.: 056-22/2/2009

प्रिय कलेक्टर,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत वर्ष 2006–07 से अब तक विभिन्न एजेंसियों के द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन सिंचाई तालाबों/परकोलेशन तालाबों/निस्तार तालाबों की जानकारी संलग्न प्रपत्र में प्रमुख सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग द्वारा चाही गई है। अतएव वांछित जानकारी पृथक–पृथक प्रपत्रों में दिनांक 23.02.2010 तक एक्सेल वर्कशीट में तैयार कर फेक्स (0755–2550094) एवं ई–मेल (ce_nreg@rediffmail.com) पर तैयार कर आवश्यक रूप से भेजने का अनुरोध है।

प्रपत्र– 'अ' में निर्माणाधीन सिंचाई तालाबों की, प्रपत्र–'ब' में परकोलेशन तालाबों की एवं प्रपत्र–'स' में निस्तार तालाबों की जानकारी भेजी जावे ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

सधन्यवाद,

भवदीया

22/2/10

(रश्मि अरूण शमी)

....
कलेक्टर
जिला – .... समस्त
मध्यप्रदेश

सी–ब्लॉक द्वितीय तल, नर्मदा भवन 59, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011
दूरभाष- (0755) 2551487; फैक्स : (0755) 2550094; E-mail :rddmp@...

पृ.क्रमांक 057 – /NR-3/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 22/02/2010

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल समस्त ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला समस्त (मध्यप्रदेश)
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग समस्त ।

(रश्मि अरुण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

Desktop/letter general

प्रपत्र–अ

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक निर्मित/निर्माणाधीन सिंचाई तालाबों संबंधी जानकारी

स. क्र.	जिला	विकासखण्ड	ग्राम	कार्य का नाम	निर्माण एजेंसी	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति राशि (रू. लाख में)	व्यय राशि (रू. लाख में)	सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर में	पूर्ण/अपूर्ण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र–ब

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक निर्मित/निर्माणाधीन परकोलेशन तालाबों संबंधी जानकारी

स. क्र.	जिला	विकासखण्ड	ग्राम	कार्य का नाम	निर्माण एजेंसी	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति राशि (रू. लाख में)	व्यय राशि (रू. लाख में)	सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर में	पूर्ण/अपूर्ण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र–स

राष्ट्रीए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक निर्मित/निर्माणाधीन निस्तार तालाबों संबंधी जानकारी

स. क्र.	जिला	विकासखण्ड	ग्राम	कार्य का नाम	निर्माण एजेंसी	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति राशि (रू. लाख में)	व्यय राशि (रू. लाख में)	सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर में	पूर्ण/अपूर्ण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक / 5821 / NR-3/MGNREGA-MP / 10 भोपाल, दिनांक 07/06/2010 / 05 / 2010

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
   जिला पंचायत – .... समस्त मध्यप्रदेश।

विषयः ग्रामीण सम्पर्क सड़क योजना के अन्तर्गत वाक थ्रू सर्वे बावत् ।

संदर्भः म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण दिकास विभाग का पत्र क्र. 3282 दिनांक 01.04.2010 (परिपत्र क्रमांक 3)

—00—

संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से ग्रामीण सम्पर्क सड़क योजना के वाक थ्रू सर्वे हेतु दिशा–निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त पत्र की कण्डिका 3 में वाक थ्रू सर्वेक्षण वीडियोग्राफी, सेम्पल एकत्रित करने हेतु एक मजदूर की मजदूरी आदि पर प्रत्येक कार्य हेतु राशि रू. 750 / – (सात सौ पचास रूपये) तक की अधिकतम सीमा में व्यय करने हेतु लेख किया गया है।

अधिकांश जिलों द्वारा बतलाया गया कि प्रत्येक सड़क के वाक थ्रू सर्वेक्षण की राशि व्यय की सीमा रूपये 750 / – कम है। अतः विचारोपरांत वाक थ्रू सर्वे हेतु पी.एम.यू. को राशि रूपये 750 / – प्रति कि.मी. सड़क की लम्बाई के मान से व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह राशि पी.एम.यू. को उपलब्ध कराए गए प्रशासनिक मद से व्यय की जावेगी।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक / 5822 / NR-3/MGNREGA-MP / 10 भोपाल, दिनांक / 05 / 2010 07/06/2010

प्रतिलिपि–

1. संभागीय आयुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन भोपाल।
4. संचालक, ग्रामीण रोजगार, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
5. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
6. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल .... (समस्त) ।
7. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग समस्त ।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ग्रामीण सम्पर्क सड़क योजना .... ।
8. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पीआईयू .... समस्त।
9. कार्यक्रम अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त की ओरसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

F:\barahmasi all data\GSSY letter.doc

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/MGNREGS-MP/NR-3/2010/ 5054 भोपाल, दिनांक 24/04/2010

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
  जिला समस्त म.प्र.

विषयः बारहमासी ग्रामीण सड़क योजना के स्वीकृत कार्यों हेतु आवंटन एवं मस्टररोल जारी करने बावत्।

—0—

बारहमासी ग्रामीण सड़क योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि समय–सीमा में पूर्ण की जाना है। अतएव प्रशासकीय स्वीकृति के साथ ही स्वीकृत की 50% राशि कार्यपालन यत्री/प्रोजेक्ट मैनेजर को उपलब्ध करायी जावे तथा जारी राशि की 60 प्रतिशत राशि व्यय होने पर शेष राशि भी आवंटित कर दी जावे, ताकि कार्य को संपादित करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

इसके साथ ही स्वीकृत सड़कों में त्रैमासिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मस्टररोल एवं माप पुस्तिका कार्यपालन यंत्री/प्रोजेक्ट मैनेजर को कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सीधे उपलब्ध कराये जावें।

कृपया उक्त व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक/MGNREGS-MP/NR-3/2010/ 5055 भोपाल, दिनांक 24/04/2010

प्रतिलिपि–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
2. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
3. संभागीय आयुक्त(समस्त) मध्यप्रदेश।
4. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल.................................(समस्त)
5. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जिला (समस्त) म.प्र.
6. कार्यक्रम अधिकारी (समस्त) जनपद पंचायत म.प्र.

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

T

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्र./6007/NR-3/TECH./10

भोपाल, दिनांक 14/06/2010

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यकम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम -- मध्य प्रदेश
जिला— समस्त म0प्र0

विषयः— महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म0प्र0 के अंतर्गत निर्माण कार्यो का भौतिक सत्यापन की जानकारी के संबंध में।

संदर्भः— 1.परिषद् का पत्र कमांक 193/एनआर—3/तक./09 दिनांक 12.01.2009।
2.परिषद् का पत्र कमांक 1077/एनआर—3/तक./09 दिनांक 27.01.2009।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी—स्कीम म0प्र0 योजनांतर्गत निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत शासन द्वारा जनपद स्तर पर 100 प्रतिशत एवं जिला स्तर पर 10 प्रतिशत कार्यो का भौतिक सत्यापन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु प्रतिमाह 10 तारीख तक जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भेजे जाने हेतु संदर्भित पत्रों द्वारा लेख किया गया है, किन्तु जिले की जानकारी निर्धारित समय में नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रही है।

अतः चाही गई जानकारी संलग्न प्रारूप में हार्ड कापी एवं ई—मेल आईडी pandeae_nregs@yahoo.co.in पर सॉफ्ट कापी में इस कार्यालय को तत्काल भेजना सुनिश्चित करें। जिससे वरिष्ठ अधिकारियों को भौतिक प्रगति की जानकारी प्रेषित की जा सके।

सहपत्रः— जानकारी भेजने हेतु निर्धारित प्रारूप।

10/6/10

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
भोपाल (म.प्र.)

LKB_BHAUTIK LETTER-10

भौतिक सत्यापन की जानकारी

जिले का नाम...

माह..

क्र0	जनपद	प्रगतिरत कार्य	जनपद स्तर से निरीक्षण किये गये कार्यो का विवरण		जिला स्तर से निरीक्षण किये गये कार्यो का विवरण		रिमार्क
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	10
कुल योग							

टीपः— महात्मा गांधी राष्टीय रोजगार गारंटी स्कीम—म0प्र0 योजनान्तर्गत प्रगतिरत कार्यों का जिला स्तर से 10 प्रतिशत एवं जनपद पंचायत स्तर पर शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक
जिला पंचायत.........................

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 2782 /एन.आर.ईजी.एस.–एम.पी. /तक.–3/17/10 भोपाल दिनांक 22.03.10

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0,
जिला – समस्त (म.प्र.)।

विषय :– कपिलधारा, नन्दन फलोद्यान, भूमिशिल्प एवं शैलपर्ण उपयोजनाओं के डी.पी.आर. निजी एजेंसियों को आउटसोर्स कर बनाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:– 1. विभाग का परिपत्र क्र. 1585 दिनांक 28.06.2007
2. परिषद् का पत्र क्र. 2573 दिनांक 31.08.2007
3. विभाग का परिपत्र क्र. 2768 दिनांक 13.09.2007
4. विभाग का परिपत्र क्र. 2991 दिनांक 29.09.2007
5. परिषद् का पत्र क्र. 2808 दिनांक 16.04.2009

––00––

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के संदर्भित परिपत्रों/पत्रों का अवलोकन करें। कपिलधारा, नन्दन फलोद्यान, भूमिशिल्प एवं शैलपर्ण उपयोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रस्ताव, निजी एजेंसियों को आउटसोर्स कर तैयार कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं. एतद् द्वारा संदर्भित परिपत्र/पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं। अब परियोजना प्रस्ताव तैयार कराये जाने का कार्य विभागीय अमले से ही कराया जावे। यदि किन्ही कार्यो हेतु डी.पी.आर. बाह्य एजेंसियों से तैयार कराये जाने की आवश्यकता होगी, तब राज्य स्तर से स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने पर ही डी.पी. आर. तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित् करें।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल (म.प्र.)

F:\Kankane\Data-2010\Letter\PS Letter.doc-26

पृ. क्र. 2783 / एन.आर.ईजी.एस.–एम.पी. / तक.–3 / 17 / 10 भोपाल दिनांक 22.03.2010

प्रतिलिपि –

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल।
3. परियोजना समन्वयक, डी.पी.आई.पी. पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल।
4. परियोजना समन्वयक, एम.पी.आर.एल.पी., अरेरा हिल्स भोपाल।
5. संभागायुक्त (समस्त), संभाग .... की ओर सूचनार्थ।
6. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त मण्डल।
7. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त संभाग।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत समस्त।

प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 2780 / एन.आर.ईजी.एस.–एम.पी. / तक.–3 / 17 / 10 भोपाल दिनांक 22.03.2010

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0,
जिला – समस्त (म.प्र.)।

विषय :– महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. अंतर्गत सम्पादित कार्यो हेतु, अकुशल श्रमिकों को औजार उपलब्ध कराये जाने बावत्।

संदर्भ:– 1. विभाग का पत्र क्र. 1948 / 22 / वि–7 / NREGS-Tech / 08 भोपाल दिनांक 15.04.08
2. परिषद मुख्यालय का पत्र क्र. 3859 / NREGS-Tech / 08 भोपाल दिनांक 17.06.08
3. परिषद मुख्यालय का पत्र क्र. 9762 / NREGS-Tech / 08 भोपाल दिनांक 06.11..08

––00––

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. अंतर्गत सम्पादित कार्यों में अकुशल श्रम के इच्छुक जॉबकार्डधारी बी.पी.एल. परिवारों को अकुशल श्रम के औजार गेंती फावड़ा, सब्बल, तसला इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु जनपद पंचायतवार दरें निर्धारित करने के निर्देश संदर्भित पत्र क्र. 1 व 2 के द्वारा दिये गये हैं। संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दृष्टिगत, औजार क्रय करने की प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

औजार उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया संबंधी राज्य शासन द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 व 2 से जारी निर्देश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं अर्थात इन निर्देशों के परिपेक्ष्य में औजार क्रय प्रक्रिया प्रतिबंधित रहेगी।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. 2781 / एन.आर.ईजी.एस.–एम.पी. / तक.–3 / 17 / 10 भोपाल दिनांक 22.03.2010

प्रतिलिपि –

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल।
3. संभागायुक्त (समस्त), संभाग .... की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त मण्डल।
5. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त संभाग।
6. सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा / MGNREGS-MP समस्त संभाग।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत समस्त।

प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल (म.प्र.)

F:\Kankane\Data 2010\Letter\P.S. Letter.doc 31

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल
फोन 0755-2550095, 2551486-87 फैक्स 2550094

क्रमांक/NR-3/MGNREGS-MP/2010/4420 भोपाल, दिनांक 30/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
जिला - समस्त (मध्यप्रदेश)

विषयः ग्रामीण सम्पर्क सड़क के कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा स्वीकृत किये जाने बावत्।

---0---

सामान्य क्षेत्र में 500 तक की आबादी के एवं आदिवासी क्षेत्र में 250 तक की आबादी के सभी बसाहटों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र., बी.आर.जी.एफ. एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना के अभिसरण से ग्रामीण सम्पर्क सड़कों से जोड़े जाने की कार्ययोजना विभाग के परिपत्र क्रमांक 2998/MGNREGS-MP/NR-3/2010 दिनांक 27.3.2010 द्वारा जारी की गई है। परिपत्र अनुसार सड़क का कार्य इंडियन रोड कांग्रेस तथा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड तथा आवश्यकतानुसार गुणवत्ता बनाये रखने हेतु मशीनों के माध्यम से संपादित किया जाना है, इसके लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।

कुछ जिलों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि जो सड़के "ग्रामीण सम्पर्क सड़क योजना" में चिन्हांकित है उन्हें भी ग्राम पंचायतों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीयं ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. अथवा अन्य मदों से प्रारंभ किया जा रहा है। अतः निर्देशित किया जाता है कि जिन सड़कों को इस योजना में चिन्हांकित किया गया है, उन्हें किसी अन्य योजना अथवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. से स्वीकृत कर प्रारंभ न किया जावे।

उक्त निर्देशों के जारी होने के बाद किसी भी सड़क कार्य की स्वीकृति प्रदाय करते समय इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जावे कि प्रस्तावित सड़क ग्रामीण सम्पर्क सडक योजना के अन्तर्गत चिन्हांकित नहीं है। अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी।

30/4/10
(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ.क्रमांक/NR-3/MGNREGS-MP/2010/4421 भोपाल, दिनांक 30/04/2010

प्रतिलिपि-

1. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
2. कमिश्नर, समस्त संभाग, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।
3. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल समस्त मध्यप्रदेश।
4. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग समस्त मध्यप्रदेश।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर, समस्त प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट, बारहमासी ग्रामीण सड़क योजना, मध्यप्रदेश।
6. सहायक यंत्री, ग्रायांसे/एमजीएनआरईजीएस-एमपी समस्त मध्यप्रदेश।
7. कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त की ओर भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशों से सभी ग्राम पंचायतों को अवगत कराया जावे।

30/5/10
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

59, द्वितीय तल, "सी" ब्लॉक नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक /5842/ NR-3 / 17 / 10 भोपाल, दिनांक 08/06/2010

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश

जिला – समस्त (मध्य प्रदेश)

विषय :– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश अतर्गत संचालित कपिलधारा उपयोजना के तहत निर्मित कूपों को वर्षा ऋतु के पूर्व सुरक्षित स्थिति में लाये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– 1. परिषद् कार्यालय का पत्र क्रं. 4059 / NR-3 / 17 / 09 भोपाल, दिनांक 21.05.09

2. परिषद् कार्यालय का पत्र क्रं. 3761 / NR 3 / 17 / 09 भोपाल, दिनांक 7.06.09

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से निर्मित कूपों को वर्षा ऋतु के पूर्व सुरक्षित स्थिति में लाये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। वर्षा ऋतु में कुऐ क्षतिग्रस्त न हों, इस हेतु अपूर्ण/असुरक्षित समस्त कूपों का सतत् निरीक्षण कराया जाकर वर्षा ऋतु के पूर्व सुरक्षित स्थिति में लाये जाने की कार्यवाही की जावे। यदि किसी जिले में वर्षा के कारण कूप क्षतिग्रस्त होते हैं, तो सर्वसंबंधितों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये, नियमानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित् करें।

5/6/10

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.)

पृ. क्रमांक / 5843 / NR-3 / 17 / 10 भोपाल, दिनांक 08/06/2010

प्रतिलिपि :–

1. संभागायुक्त (समस्त) संभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, (समस्त) सम्भाग .... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5/6/10

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.)

E-mail 82 dt. 21/5/09

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

59, द्वितीय तल, "सी" ब्लॉक नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक/4059/NR-3/17/09 भोपाल, दिनांक 21/5/2009

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
  राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
  जिला – समस्त (मध्य प्रदेश)

विषय :– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश के अंतर्गत कपिलधारा उपयोजना के तहत प्रगतिरत्/अपूर्ण कार्यों को वर्षाकाल के पूर्व, पूर्ण करने या सुरक्षित स्थिति में लाये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– परिषद् कार्यालय का पत्र क्रं. 2592/NREGS/Tech-3/09 दिनांक 31.03.2009

—00—

संदर्भित पत्र के माध्यम से कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत प्रगतिरत् समस्त कार्यों को 31 मई 2009 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।

कपिलधारा उपयोजना के तहत वृहद् पैमाने पर नवीन कूप निर्माण स्वीकृत कर प्रारम्भ कराये जा रहे हैं। उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सभी प्रगतिरत् कूप निर्माण कार्यों का तत्काल निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित् किया जावे, कि प्रगतिरत्/अपूर्ण कार्यों को वर्षाकाल के पूर्व, पूर्ण करने या सुरक्षित स्थिति में लाया जावे, ताकि कूपों को वर्षा से क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित् करें।

21.5.09
(रश्मि अरुण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.)

पृ क्रमांक/4060/NR-3/17/09 भोपाल, दिनांक 21/5/2009

प्रतिलिपि :–

1. संभागायुक्त (समस्त) संभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, (समस्त) सम्भाग .... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कार्यक्रम अधिकारी NREGS (समस्त) जनपद पंचायत की ओर सूचनार्थ।

21.5.09
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.)

AL/Jyoti/Letter General-126

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
59, नर्मदा भवन, सी—ब्लॉक, द्वितीय तल,
अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्र. 3761 /NREGS-MP/Tech./2008

दिनांक 7 / 6 /2008

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/अति. जिला कार्यकम समन्वयक,
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/कार्यकम अधिकारी

जिला – बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, धार, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, मंडला, सतना, सीधी,सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, डिण्डौरी, टीकमगढ़, उमरिया, छिंदवाड़ा, दतिया, हरदा, देवास, कटनी, पन्ना, दमोह, रीवा, गुना, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर, राजगढ, शाजापुर, रायसेन, सीहोर, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, सागर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, विदिशा, नरसिंहपुर एवं होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) (48 जिले)

विषय: NREGS अंतर्गत संचालित कार्यो को वर्षाकाल के पूर्व सुरक्षित स्थिति में लाने बाबत्।

संदर्भ: कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3504/NREGS M.P. /Tech/2008 दिनांक 14.05.08

संदर्भित पत्र द्वारा राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना के अंतर्गत किए जा रहें कार्यों को वर्षा ऋतु के पूर्व पूर्ण करने या सुरक्षित स्थिति में लाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं, ताकि वह वर्षा से क्षतिग्रस्त न हो।

योजना अन्तर्गत संचालित कपिल धारा उपयोजना के तहत वृहद पैमाने पर कूप निर्माण कार्य स्वीकृत कर कराये जा रहे है। उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सभी प्रगतिरत कूपों के निरीक्षण का कार्य तत्काल किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि वर्षा ऋतु से पूर्व कूप निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाये या इस स्तर तक पहुंचाया जावे कि वर्षा काल में मिट्टी के धसकने से कूप क्षतिग्रस्त न हों। जहां कहीं धसकन वाली मिट्टी में कूप खनन का कार्य किया गया हैं वहां कूप बंधाई का कार्य वर्षा पूर्व करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे।

(रश्मि अरूण शमी)
परियोजना समन्वयक
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्र. 3762 /NREGS-MP/Tech./2008

दिनांक 7 / 6 /2008

प्रतिलिपिः—

सभागायुक्त, संभाग .... की ओर सूचनार्थ।

(रश्मि अरूण शमी)
परियोजना समन्वयक
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल (म.प्र.)